संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्र./प्रशि./सी.पी.एस./2019/ 364 भोपाल, दिनांक 25/06/2019

सूचना

प्रदेश के चिन्हित जिला/सिविल अस्पतालों में सी.पी.एस., मुम्बई के माध्यम से विभिन्न विधाओं यथा स्त्रीरोग एवं प्रसूति, शिशु स्वास्थ्य, निश्चेतना, जनरल मेडिसीन, एवं मनोरोग में डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु शैक्षेणिक वर्ष 2019 में प्रवेश हेतु **मॉप अप राउंड की काउंसलिंग** संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं, भोपाल में चतुर्थ तल पर स्थित सभाकक्ष में **दिनांक 03 जुलाई 2019 को** अपरान्ह 2.00 बजे से निम्न सीट्स के लिये आयोजित की जाएगी:-

क्रं.	चिकित्सालय	उपलब्ध सीट्स				
		स्त्री रोग एवं प्रसूति	शिशु रोग	निश्चेतना	जनरल मेडिसीन	सायकोलॉजिकल मेडिसीन
1	जे पी अस्पताल, भोपाल	2	0	2	-	-
2	जिला अस्पताल, सागर	0	1	2	-	-
3	जिला अस्पताल, सतना	-	2	-	-	-
4	सिअ रानी दुर्गावती, जबलपुर	3	-	-	-	-
5	कमला नेहरु गैस राहत अस्पताल, भोपाल	-	-	-	1	-
6	इंदिरा गांधी गैस राहत अस्पताल, भोपाल	1	-	-	-	-
7	मानसिक आरोग्य शाला, ग्वालियर	-	-	-	-	4
	योग	6	3	4	1	4

मॉप अप राउंड की काउंसलिंग में **पी.जी. नीट-2019 क्वालिफाईड** इन सर्विस चिकित्सा अधिकारियों (नियमित एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा चिकित्सा अधिकारी)को ही भाग लेने की पात्रता होगी। जिन चिकित्सा अधिकारियों का चयन पी.जी.डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए पूर्व में हो चुका है, किन्तु उनके द्वारा अभी तक प्रवेश नही लिया गया है, उन्हें भी कॉउन्सलिंग में भाग लेने की अनुमति होगी।

पी.जी. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पी.जी. नीट 2019 के प्राप्तांक तथा ग्रामीण/आदिवासी क्षेत्र में सेवा हेतु दिये गये महत्व को सम्मिलित कर तैयार की गई मेरिट लिस्ट के आधार पर ही सीपीएस पी.जी. डिप्लोमा सीट्स के लिये कॉउन्सलिंग की जाएगी, सेवा अवधि की गणना दिनांक 31 मार्च 2019 की स्थिति में की जाएगी।

चिकित्सा अधिकारियों को ग्रामीण/आदिवासी क्षेत्र में सेवा हेतु अंक प्राप्त करने के लिये प्रपत्र 8 एवं प्रपत्र 8-A काउंसलिंग के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिन चिकित्सा अधिकारियों को ग्रामीण/आदिवासी क्षेत्र में सेवा हेतु अंक पूर्व में प्रदान किये जा चुके है उन्हे उक्त जानकारी प्रस्तुत नही करना है।

सी.पी.एस. डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु जारी दिशा निर्देशों के अनुरुप चयन की कार्यवाही की जाएगी। काउंसलिंग हेतु निर्धारित योग्यता पूर्ण करने वाले चिकित्सक को अपने मूल दस्तावेज एवं प्रमाणपत्रों के साथ के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करे, काउंसलिंग में उपस्थित नही होने पर प्रवेश की पात्रता नही होगी।

(राकेश मुंशी)
संयुक्त संचालक (प्रशिक्षण)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ. क्र./प्रशि./सीपीएस/2019/ 365 भोपाल, दिनांक 25/06/2019

प्रतिलिपिः-कृपया सूचनार्थ

1. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाऐं, मध्यप्रदेश।
3. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश।
4. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन।
5. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश कृपया काउंसलिंग हेतु आपके विभाग से एक प्रतिनिधी को भेजने का अनुरोध है।
6. संचालक, गैस राहत विभाग, मध्य प्रदेश कृपया काउंसलिंग हेतु आपके विभाग से एक प्रतिनिधी को भेजने का अनुरोध है।
7. डॉ बी डी खरे, उप संचालक (विज्ञप्त), स्थानीय कार्यालय।
8. डॉ राजश्री बजाज, उप संचालक (प्रशिक्षण), स्थानीय कार्यालय।

संयुक्त संचालक (प्रशिक्षण)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश